भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3233
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

अधिकृत हलाल प्रमाणन एजेंसियां

3233. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अधिकृत हलाल प्रमाणन एजेंसियों द्वारा हलाल प्रमाणन के अंतर्गत अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिकृत हलाल प्रमाणन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा हलाल प्रमाणन के लिए राज्यवार मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या कई शाकाहारी उत्पाद भी हलाल प्रमाणन के अंतर्गत हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा देश में हलाल प्रमाणन के तहत प्रमाणित उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश में हलाल प्रमाणन की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ख): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई -सीएएस) निर्धारित की है। डीपीआईआईटी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई -सीएएस) के अंतर्गत अनुरूपता मूल्यांकन निकायों को मान्यता प्रदान करने वाला राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय है । एनएबीसीबी की भूमिका केवल एनएबीसीबी से प्रत्यायन प्राप्त करने वाली हलाल प्रमाणन एजेंसी/निकाय की तकनीकी क्षमता का आकलन करना है।विशिष्ट मानक(ओं) और योजना(ओं) की आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन और हलाल प्रमाणन एजेंसियों द्वारा सृजित राजस्व एनएबीसीबी के आकलन के दायरे से बाहर है।

एनएबीसीबी का प्रत्यायन वर्तमान में निम्नलिखित हलाल प्रमाणन एजेंसियों के लिए मान्य है:

1. जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, नई दिल्ली [प्रत्यायन प्रमाणपत्र संख्या पीसी 034, वैध 07.08.2026 तक] ।
2. जेयूएचएफ सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र [प्रत्यायन प्रमाणपत्र संख्या पीसी 037, वैध 21.11.2026 तक]
3. हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल), चेन्नई, तमिलनाडु [प्रत्यायन प्रमाणपत्र संख्या पीसी 038, वैध 27.02.2027 तक]
4. मास्टरसर्ट एलएलपी, चेन्नई, तमिलनाडु [प्रत्यायन प्रमाणपत्र संख्या पीसी 041, वैध 12.08.2027 तक]

डीपीआईआईटी ने आगे पुष्टि की है कि उपरोक्त एनएबीसीबी प्रत्यायन प्राप्त हलाल प्रमाणन निकायों को दिए गए प्रत्यायन का दायरा "हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई-सीएएस)" के अनुसार मांस और मांस उत्पादों के हलाल प्रमाणन के लिए है।

(ग): डीपीआईआईटी के अनुसार, उपरोक्त प्रमाणन निकायों को दिया गया वर्तमान वैध एनएबीसीबी प्रत्यायन केवल मांस और मांस उत्पादों के लिए है।

(घ): डीपीआईआईटी के अंतर्गत क्यूसीआई/एनएबीसीबी को देश में हलाल प्रमाणन की समीक्षा के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

*****